

क्रमांक : एफ-गार्ड / योजना / निर्माण / 2026 / 06

दिनांक: 12.01.26

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर, करौली, श्रीगंगानगर, जयपुर प्रथम-द्वितीय,
अलवर, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा,
जोधपुर प्रथम-द्वितीय, जैसलमेर, बारां, बून्दी, झालावाड,
उदयपुर प्रथम-द्वितीय, सलूमबर, एवं बांसवाडा,

विषय :- सूचना नही भिजवाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक योजना/निर्माण/एफ-गार्ड 2025/892 दिनांक 28.11.2025 से आपके जिले में विभाग के समस्त चिकित्सा संस्थानों एवं कार्यालय के भवन, भूमि की उपलब्धता व अन्य सूचनाएँ संबंधित विज्ञ अधिकारी/कर्मचारी के साथ व्यक्तिशः भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके जिले से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सूचना के साथ आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है। पत्र के अतिरिक्त आपको दूरभाष पर एवं व्हाट्सअप के माध्यम से भी अवगत कराया गया था। इन प्रयासों के बावजूद सूचना नही भिजवाना राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है।

अतः इस नोटिस को अंतिम अवसर मानते हुए आप स्वयं एवं संबंधित कर्मचारी अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सक्षम उपस्थिती प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ-गार्ड / योजना / निर्माण / 2026 / 06

दिनांक : 12.01.26

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय।
- 2 निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय।
- 3 निजी सहायक, निदेशक (जन.स्वा.), निदेशालय, जयपुर
- 4 गोपनीय अनुभाग, निदेशालय (राजपत्रित/अराजपत्रित)।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इसे संबंधित को ई-मेल करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करें।
- 6 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर राजस्थान